न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 60 / 2016

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थीगण

श्री सवाराम पुत्र श्री जीवाराम
जाति भील नि. सिरोही
तहसील व जिला सिरोही

1. स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित :–

1– श्री महेन्द्र कुमार चौहान वकील प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार सिरोही

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय — दिनांक 27–11–2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही विरूद्व वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 08–07–2016 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सिंदरथ पटवार क्षेत्र धान्ता तहसील सिरोही में खाता संख्या 273 व्या खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.2600 हैक्टेयर किस्म बारानी चाही 2 है। उक्त कृषि आराजी मै स्वयं धारण करता हुं तथा मुझे अपनी कृषि आराजी पर आने जाने तथा खडाई, बुवाई करने के लिये ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। मेरे उपरोक्त खातेदारी कृषि आराजी संख्या 1348 पर आने जाने हेतू आराजी के लगती दक्षिण दिशा की तरफ स्थित भूमि खसरा संख्या 1347 की आराजी से मौके पर मौजुद है तथा उक्त रास्ते को ही मे व मेरे पूर्वसाधिकारी कदीम से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। और इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता या निकास रास्ता नहीं है। मेरे खातेदारी कृषि आराजी खसरा संख्या 1348 में आने जाने हेतु राजस्व ग्राम सिन्दरथ, पटवारी क्षेत्र धान्ता के खसरा संख्या 1347 में से रास्ते की प्रार्थी द्वारा आवश्यकता है, जो संलग्न नक्शा मानचित्र में लाल स्याही से दर्शित है। मै खसरा संख्या 1347 में स्थित कदीमी रास्ते का उपयोग व उपभोग मेरे खातेदारी कृषि आराजी खसरा संख्या 1348 में आने जाने हेतु शुरू से करता रहा हूॅ। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मेरे उक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतू उपलब्ध नहीं है जिससे मैं मेरी खातेदारी कृषि आराजी खसरा संख्या 1348 में आने जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:55 IST
Reason: SelfAttested

सिंदरथ पटवार क्षेत्र धान्ता के खसरा संख्या 1347 में से संलग्न नक्शे में अंकित रास्ता प्राप्त करना चाहता हुँ जिसके लिये धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुमति के लिये आवेदन कर रहा हूँ।

अप्रार्थी के खातेदारी कृषि आराजी खसरा संख्या 1347 किस्म रास्ता रकबा 0.2200 हैक्टेयर व बारानी प्रथम रकबा 2.300 हैक्टयर कुल रकबा 2.5200 हैक्टेयर राजस्थान सरकार के नाम बिलानाम वाके राजस्व ग्राम सिंदरथ पटवार हल्का धान्ता भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोही तहसील व जिला सिरोही के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि आराजी खसरा संख्या 1348 में आने व जाने हेतू उपरोक्त कृषि आराजी खसरा संख्या 1347 में से 4 मीटर गुणा 25 मीटर कुल 100 वर्गमीटर यानि 0.0100 हैक्टेयर रास्ता प्राप्त करना चाहता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। अतः प्रार्थी का नम्र निवेदन है कि प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर वाके राजस्व ग्राम सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोही तह. सिरोही व जिला सिरोही के आराजी खसरा संख्या 1348 में से 4 मीटर गुणा 25 मीटर कुल 100 वर्गमीटर यानि 0.0100 हैक्टेयर रास्ता दिलवाये जाने की प्रार्थना है। अन्य कोई अनुतोष जो अप्रार्थी के हित में न्यायोचित हो दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें। उक्तानुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न फार्म 3 के संलग्न मौजा सिन्दरथ के खसरा संख्या 1348 की जमाबंदी संवत 2068–2071, राजस्व नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी, खसरा, 1347 की जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा प्रस्तुत की जिसका अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने से प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार सिरोही अप्रार्थी द्वारा दिनांक 6.11.2020 को जरिये पत्रांक 407 दिनांक 8.9.2020 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि

1. प्रार्थी सवाराम पुत्र जीवाराम जाति भील नि. सिरोही के नाम वर्तमान जमाबंदी संवत 2072 से 2075 अनुसार खाता संख्या 307 खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.26 हैक्टैयर किस्म चाही 2 है।
2. यह कि मुख्य सडक से खसरा नम्बर 1346 में से रास्ता 0.06 हैक्टयेर सिवाय चक दर्ज है। शेष रकबा 1.14 बा.। सिवायचक दर्ज है। एवं 1347 में से रास्ता 0.22 हैक्टयेर एवं 2.30 हैक्टैयर बा.। सिवायचक दर्ज है। दोनो खसरो के नक्शा लठठा मे लाल स्याही से रास्ते की तरमीम की हुई है। प्रार्थी का खसरा 1348 है प्रार्थी ने नक्शा ट्रेस अनुसार 1348 के दक्षिण–पूर्वी कोने से लिंक [illegible] है चुकि खसरा 1347 में से प्रार्थी का मौके पर रास्ता 1347 [illegible] के खसरा नम्बर 1348 में रास्ता पश्चिम–दक्षिण कोने से दिया जाना उचित [illegible] जिसे 1347 दो टुकडो में विभाजन नहीं हो सकें। संलग्न नक्शा [illegible] अनुसार 4 गुणा 25 मीटर रास्ता दिया जा सकता है। स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही का प्राप्त जवाब शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 27.11.2020 को पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:55 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिरोही (राज.)

पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन व स्टेट के जवाब के मददेनजर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा नंबर 1348 रकबा 0.26 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी अनुसार प्रार्थी द्वारा काश्त किया जाना भी जाहिर है। सरकार के जवाब के अनुसार उक्त खसरे के पास में राजकीय खसरा नंबर 1347 में रास्ता दर्ज रिकार्ड है जिससे प्रार्थी के खसरा नंबर तक जाने के लिये 4 मीटर चौडाई में 25 मीटर लम्बा रास्ता दिया जाना उचित है। अन्य ऐसा कोई विरोधाभासी तथ्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है जिससे रास्ता दिये जाने बाबत कोई विधिक बाधा उत्पन्न होती है। अतः यह उचित समझता हूँ कि तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार निम्न अनुसार रास्ता दिया जाये।

नाम ग्राम	खसरा नंबर	प्रस्तावित रास्ते की चौडाई	प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई	प्रस्तावित रास्ते का रकबा	खातेदार
सिन्दरथ	1347	4 मीटर	25 मीटर	100 वर्गमीटर	राज्य सरकार

उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 व 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक प03(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत् राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते हैः–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार, सिरोही द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील [illegible] सिरोही मे जमा करवाने पर तहसीलदार, सिरोही उपरोक्त सारणी में [illegible] भूमि राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार [illegible] रखते हुये दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय [illegible] 11–2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी